भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1589

उत्तर देने की तारीख 08 मार्च, 2021

17 फाल्गुन, 1942 (शक)

लॉकडाउन के दौरान प्रभावित खेल प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को सहायता

1589. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

श्री कुमार केतकर:

श्री दिग्विजय सिंह:

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान पूरे देश में खेल प्रशिक्षकों (कोचों) और खिलाड़ियों ने आर्थिक तंगी का सामना किया;

(ख) क्या मंत्रालय ने कोचों और खिलाड़ियों की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता या राहत प्रदान करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो कितनी निधियां प्रदान की गई और इसमें कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : खेल राज्य का विषय है और खेल कार्यकलापों के लिए कोचों और खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित खेलों के विकास का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) का है जो वैयक्तिक खेल विधाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी हैं । केंद्र सरकार इस संबंध में उसके द्वारा और उसके अधीन कार्यरत संगठनों द्वारा कार्यान्वित खेल विकास स्कीमों के माध्यमों से राज्य सरकारों और राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों की पूर्ति करती है ।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन करता है ।

इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही खेलो इंडिया-राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) तथा साई द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आने वाले खिलाड़ियों को उनकी पात्रता और संबंधित स्कीमों के नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाती है । टीओपीएस कोर ग्रुप के अंतर्गत 104 खिलाड़ी और 2 टीमें (सीनियर हॉकी पुरुष और महिला) वर्तमान में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के तहत सहायता प्राप्त कर रहे हैं जबकि टीओपीएस डेवलपमेंट ग्रुप के अंतर्गत 269 श्रेष्ठ प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान पूरी कर ली गई है । कोर ग्रुप और डेवलपमेंट ग्रुप को क्रमश: 50,000/- रु. तथा 25,000/- रु. का रुपए आउट आफ पॉकेट भत्ता (ओपीए) के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं । खेलो इंडिया स्कीम के तहत 2947 उदीयमान खिलाड़ियों की पहचान की गई है । इस स्कीम के अंतर्गत अभिज्ञात खिलाड़ियों को प्रतिमाह 10,000/- रु. आउट आफ पॉकेट भत्ता (ओपीए) प्रदान किया जा रहा है ।

****